

उत्तर प्रदेश शासन  
गृह (पुलिस) अनुभाग-9  
संख्या-यू0ओ0-33/छः-पु0-9-18-332जी/91-न्याय-2  
लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त, 2018

**अधिसूचना  
प्रकीर्ण**

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-49, सन् 1988) की धारा-3 की उपधारा (1) और धारा-4 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपर जिला न्यायाधीशों द्वारा अपने कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उक्त अधिनियम सन् 1988 की धारा-3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट ऐसे अपराधों जिनमें एतदपश्चात् भारत सरकार के विशेष पुलिस अधिष्ठान द्वारा उनके न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किए जायें, के विचारण के लिए स्तम्भ-5 में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं और यह निदेश देते हैं कि उक्त क्षेत्रों में उद्भूत होने वाले ऐसे अन्य मामलों का, जिनमें उक्त अधिनियम सन् 1988 के अधीन नियुक्त किसी अन्य विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोप-पत्र पहले से ही दाखिल कर दिये गये हों, का विचारण और निस्तारण भी उनके द्वारा किया जायेगा और उक्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किया जायेगा जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा।

**अनुसूची**

क्र० सं०	जिलों में नवसृजित न्यायालय	नवसृजित विशेष न्यायालयों में विशेष न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए संस्तुत न्यायिक अधिकारी का नाम	नवसृजित विशेष न्यायालय का नाम	अधिकारिता का क्षेत्र (न्यायालयवार)
1	2	3	4	5
1-	बरेली	1-श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-6, बरेली।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-2, बरेली।	जिला बदायूँ, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और जे०पी०नगर।
2-	गोरखपुर	1-श्री सुशील कुमार शशि, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर। 2-श्री मनोज कुमार राय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-3, गोरखपुर। (भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-4, गोरखपुर।	जिला गोरखपुर के पुलिस थाना अर्थात्-पीपीगंज, गोरखनाथ, कैम्पियरगंज, शाहपुर, जी०आर०पी० जिला गोरखपुर के पुलिस थाना अर्थात्-गोला, बांसगांव, गगहा, उरवाबाजार, बेलघाट और कोई अन्य भी छूटा हुआ पुलिस थाना।
		3-श्री प्रफुल्ल कमल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-5, गोरखपुर।	जिला आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, महाराजगंज, मऊ, सिद्धार्थनगर, फैजाबाद, बहराइच, गोण्डा, प्रतापगढ़ सुलतानपुर, पड़रौना, बाराबंकी, अम्बेडकरनगर, सन्तकबीरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर।
3-	लखनऊ	1-श्री अविनाश सक्सेना, अपर जिला एवं सत्र	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय	जिला लखनऊ के पुलिस थाना अर्थात्-महानगर, हसनगंज, सहादतगंज,

		न्यायाधीश, कोर्ट नं०-1, लखनऊ।	संख्या-1, लखनऊ।	विकासनगर, तालकटोरा, अलीगंज, मड़ियांव, जानकीपुरम।
		2-श्री विनय कुमार सिंह-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-6, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-2, लखनऊ।	जिला लखनऊ के पुलिस थाना अर्थात् -निगोंहा, गोमतीनगर, इन्दिरानगर, विभूतिखण्ड, गाजीपुर।
		3-श्री कृष्ण कुमार-षष्ठम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-17, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-5, लखनऊ।	जिला लखनऊ के पुलिस थाना अर्थात्-बी०के०टी०, इटाँजा, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, नगराम, मलिहाबाद, माल, काकोरी।
		4-श्री मुकेश कुमार सिंह-द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-10, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-6, लखनऊ।	जिला लखनऊ के पुलिस थाना अर्थात्-आलमबाग, मानकनगर, गुडम्बा, चिनहट, पारा, कृष्णानगर, सरोजनगर, बन्धरा और कोई अन्य छूटा हुआ पुलिस थाना।
		5-श्रीमती अल्पना शुक्ला, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-11, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-7, लखनऊ।	जिला रायबरेली और सीतापुर।
		6-श्रीमती स्वप्ना सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-13, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-8, लखनऊ।	जिला उन्नाव और कानपुर नगर।
		7-श्री गौरव शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०-14, लखनऊ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-9, लखनऊ।	जिला हरदोई, खीरी, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, झांसी, बांदा, चित्रकूट, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, कानपुर देहात और जालौन।
4-	मेरठ	1-श्री मनजीत सिंह शिवोरॉन, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-2, मेरठ।	गाजियाबाद, जी०बी०नगर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, कांशीरामनगर, मुजफ्फरनगर।
5-	वाराणसी	1-श्री लाल चन्द्र-तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-3, वाराणसी।	जिला जौनपुर, कौशाम्बी और जिला वाराणसी के पुलिस थाना अर्थात् विजिलेंस डिपार्टमेंट, कैट, चौबेपुर, चोलापुर, सारनाथ, चेतगंज, दशाश्वमेघ।
		2-श्री राम चन्द्र-षष्ठम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी।	(भ्रष्टाचार निरोध) विशेष न्यायालय संख्या-4, वाराणसी।	जिला फतेहपुर, सोनभद्र, भदोही और जिला वाराणसी के पुलिस थाने अर्थात् लंका, लक्सा, जानसा, मिर्जामुराद, मंडुवाडीह, रोहनिया और कोई अन्य छूटा हुआ पुलिस थाना।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार  
प्रमुख सचिव।

संख्या-यू0ओ0-33(1)/छ:-पु0-9-17-332जी/1991-न्याय-2 तददिनांक:

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को अंग्रेजी की प्रतिलिपि सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 30 अगस्त, 2018 की तिथि में प्रकाशित करने तथा मुद्रित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-यू0ओ0-33(2)/छ:-पु0-9-17-332जी/1991-न्याय-2 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-2) उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त निबन्धक(जे)(सर्विस), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके पत्रांक-10087/मेन-बी/ एडमिन(ए-3), 18.07.2018 के संदर्भ में।
- 4- सचिव, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
- 5- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 6- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 7- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 8- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 9- प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
- 10- जिला जज, संबंधित।
- 11- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
- 12- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बरेली, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ तथा वाराणसी।
- 13- निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ।
- 14- सदस्य सचिव, उ0प्र0 कानूनी सहायता एवं परामर्शी बोर्ड, 510, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 15- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, उ0प्र0, लखनऊ।
- 16- विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5/न्याय अनुभाग-9 (बजट)/न्याय अनुभाग-2
- ✓ 17- प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।
- 18- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र सिंह)

अनु सचिव।